न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 23/2020 (2020/00067) दर्ज दिनांक 28.02.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. प्रेमदेवी पत्नि बालूराम खटीक निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।

——प्रार्थीया

बनाम

1. अयूब मोहम्मद आत्मज अहमद मुसलमान निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. आरीफ मोहम्मद आत्मज अहमद मुसलमान निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. बतुल बेगम पत्नि अहमद मुसलमान निवासी पोटलां हाल निवास गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. रबिया पत्नि अहमद मुसलमान निवासी पोटलां हाल निवास गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. मोहम्मद शरीफ आत्मज अहमद मुसलमान निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
6. उस्मान मोहम्मद आत्मज चांदू मोहम्मद पिनारा (मुसलमान) निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
7. कालू मोहम्मद आत्मज चांदू मोहम्मद पिनारा (मुसलमान) निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
8. छोटू मोहम्मद आत्मज चांदू मोहम्मद पिनारा (मुसलमान) निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
9. सिराजुद्दीन आत्मज चांदू मोहम्मद पिनारा (मुसलमान) निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
10. हलीमाबाई पत्नि चांदू मोहम्मद पिनारा (मुसलमान) निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
11. कमला पत्नि मिठू कालबेलिया निवासी पोटलां (कालबेलिया बस्ती–1) तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
12. मंजू पुत्री छोगा लुहार निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
13. मांगी पुत्री छोगा लुहार निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
14. माधुलाल आत्मज छोगा लुहार निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
15. सुन्दर पत्नि स्व0 छोगा लुहार निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)।

——अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:09:06 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थीया:– श्री सुनील कुमार जैन
अधिवक्ता विपक्षी सं0 1, 3, 5:– श्री फतेह लाल लौहार

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:–20.11.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1674 रकबा 0.30 हे0, 2008 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.37 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 801 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 2,4,6 लगायत 15 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षीगण संख्या 1, 3, 5 द्वारा अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है। विपक्षी संख्या 16 औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1674 रकबा 0.30 हे0, 2008 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.37 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 801 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीया बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) [illegible] पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) [illegible]–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ [illegible] जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को खुले [illegible]यालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:09:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner